

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो

सं. ए-20012/19/2018/स्था.

नागपुर, दिनांक-02/01/2018


परिपत्र

भारतीय खान ब्यूरो विभागीय प्रमुखों के साथ आज सुबह हुई बैठक के दौरान महानियंत्रक महोदय ने यह पाया है कि भारतीय खान ब्यूरो मुख्यालय द्वारा दिनांक 22.12.2017 को जारी परिपत्र के माध्यम से दिए गए निर्देशों के प्रति अवला में अधिकतर स्थानांतरण संबंधी प्राप्त आवेदन संबंधित कार्मिकों के प्रभारी अधिकारियों के विशिष्ट सिफारिशों के बिना ही अद्योषित कर दिये गये हैं।

इसलिए महानियंत्रक महोदय ने यह निर्णय लिया है कि आवेदक से संबंधित प्रभारी अधिकारी के विशिष्ट सिफारिशों के बिना अद्योषित स्थानांतरण अनुरोध के ऐसे आवेदन पर नामांकित वार्षिक स्थानांतरण समितियों द्वारा विचार नहीं किया जाएगा, जो आवेदकों के हितों के लिए अनादरपूर्ण साबित हो सकता है।

अतः महानियंत्रक महोदय ने प्रभाग / आंचलिक / क्षेत्रीय / आरएमपीएल प्रमुखों और भारतीय खान ब्यूरो के सभी कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक मामले को व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करें तथा भारतीय खान ब्यूरो के मुख्यालय (नागपुर) को 15.01.2018 तक प्रस्तुत करें।

भवदीय

  
(कैप्टन एस.एस. चौधरी)  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी  
एवं कार्यालय का प्रमुख

प्रति :

- (1) भारतीय खान ब्यूरो के सभी प्रभाग / आंचलिक / क्षेत्रीय / आरएमपीएल / प्रमुख और प्रभारी अधिकारियों को।
- (2) भारतीय खान ब्यूरो की वेबसाइट में इस परिपत्र को अपलोड करने के लिए प्रभारी अधिकारिय, टीएमआईएस, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर।